न्यायालय–श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मण्डला,जिला मण्डला(म.प्र)

आ.प्र.क.–301 / 2023
फाईलिंग नं.–आर.सी.टी. / 1317 / 2023
सी.एन.आर.नं.–एम.पी.51010017962023
संस्थित दिनांक–08.04.2023

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मण्डला
जिला मण्डला (म.प्र.) .... **अभियोजन**

:: वि रू द्ध ::

1. मनीष उर्फ आनंद धुर्वे पिता शिवरत धुर्वे उम्र 19 साल
निवासी– ग्राम सिलघटी थाना घुघरी जिला मण्डला म.प्र.
2. सुखलाल मरावी पिता भारत मरावी उम्र 21 साल
निवासी– ग्राम कुम्हर्रा थाना घुघरी जिला मण्डला म.प्र.
3. देवेन्द्र तेकाम पिता प्रताप सिंह तेकाम उम्र 19 साल
निवासी– ग्राम सिलघटी थाना घुघरी जिला मण्डला म.प्र.

.... **अभियुक्तगण**

:: उपार्पण आदेश ::

(<u>आज दिनांक–11.04.2023 को पारित।</u>)

1. इस आदेश द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 209 के तहत उक्त प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय मण्डला की ओर उपार्पित किया जा रहा है।

2. अभियोजन यह आक्षेपित करता है, कि फरियादी रंजना पट्टा, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड मण्डला में श्रीमती सीता परतेती के मकान में अपनी सहेली देवंती तेकाम और सेवकली मरावी के साथ रहकर शासकीय जगन्नाथ मुन्नालाल चौधरी स्नातक महाविद्यालय नावघाट में फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है, उसके मोबाईल पर दिनांक–09.01.2023 को एवं उसके साथ रहने वाली सहेली देवंती तेकाम के मोबाईल पर किसी आई.पी.एस. मनीष परते ने फोन किया और उन लोगो को बताया कि वह आई.पी.एस. मनीष परते बोल रहा है, तुम्हे पुलिस में नौकरी करना है क्या, तो उसने और उसकी सहेली देवंती ने हॉ बोला, तो उसने, उनसे व्हाटसाप पर आधार, फोटो और कक्षा 12वी की अंकसूची ले ली। फिर कुछ दिन बाद उसने उन्हें कुछ प्रश्न व्हाटसाप पर भेजे और बोला कि इनके उत्तर कपी में लिखकर फोटो खींच कर भेज दो, उन्होंने प्रश्नों के उत्तर लिखकर व्हाटसाप पर भेज दिये और फिर उसने, उन्हें मोबाईल पर मैसेज किया कि आपका सिलेक्शन रेल्वे में हो गया है। फिर उसने, उन्हें बताया कि आपकी एक माह की ट्रेनिंग दिल्ली में होगी आप लोग 15 मार्च को तैयारी के साथ नागपुर बस स्टेण्ड पर मिलना और भी 20–25 लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है, वह

लड़किया भी 15 मार्च 2023 को नागपुर बस स्टेण्ड पर मिलेगी। उन्होंने अपनी मकान मालकिन श्रीमती सीता परतेती को बताया कि उनकी नौकरी लग गई है वे दोनो 15 मार्च 2023 को दिल्ली ट्रेनिंग में जायेगे, इसलिए कमरा खाली करेगे। उनकी मकान मालकिन ने उनसे बोला कि कहां पर और कैसे, तुम्हारी नौकरी किस विभाग में लगी है तो उन्होंने सारी बात बताई, तब मकान मालकिन ने बोल कि ऐसे नौकरी नहीं लगती है। उस आदमी का नंबर दो मैं बात करती हूँ फिर उसने, आई.पी.एस. मनीष परते से फोन पर बता की तो उसने अपना नाम आनंद धुर्वे निवासी सिलगिटी का होना बताया, तो उन्हें पता चला कि आनंद धुर्वे आई.पी.एस. अधिकारी नहीं है वह झूठ बोलकर हमें धोखा देकर हमें कहीं बचने के लिए बाहर ले जाने का प्रयास कर रहा है। फरियादी की रिपोर्ट पर से सम्पूर्ण जांच उपरांत थाना मण्डला द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक–163/2023 अन्तर्गत धारा 417, 419, 420, 370, 120बी, 511 भा.दं.सं. के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोजित करने हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. धारा 417, 419, 420, 370, 120बी, 511 भा.दं.सं. का अपराध अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय मण्डला की ओर उपार्पित किया जा रहा है। अभियुक्तगण को धारा 207 दं.प्र.सं. के तहत अभियोग पत्र व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां दी जा चुकी है।

4. अभियुक्तगण न्यायिक निरोध में हैं। अतः अभियुक्तगण को आगामी पेशी दिनांक–24.04.2023 को माननीय सत्र न्यायालय मण्डला के समक्ष उपस्थित रखने हेतु जेल अधीक्षक मण्डला को कमिटल वारण्ट जारी किया जावे।

5. नाजिर मालखाना को सूचित एवं आदेशित किया जाता है कि प्रकरण से संबधित मुद्देमाल माननीय सत्र न्यायालय मण्डला में उनके निर्देशानुसार प्रस्तुत किया जावे।

6. प्रकरण का अभिलेख विधिवत् रूप से तैयार किया जाकर दिनांक– 24.04.2023 के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जावे।

7. प्रकरण को माननीय सत्र न्यायालय मण्डला के सुपुर्द किये जाने की सूचना लोक अभियोजक को दी जावे।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित, कर पारित किया गया।	मेरे उद्‌बोधन पर टंकित किया गया,
(श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा) मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट मण्डला (म.प्र.)	(श्रीमती ज्योति डोंगरे शर्मा) मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट मण्डला (म.प्र.)